न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर (राज)
पीठासीन अधिकारी - श्री गंगाधर मीणा R.A.S

अपील संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
19/2013	13.09.2013	20.07.21

अनुवाद

[1] ताराबाई पत्नी बलवानसिंह
[2] कमला
[3] विमला पुत्रीयान बलवानसिंह जाति राजपूत निवासी लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- अपीलार्थीगण

बनाम

[1] रामकिशोर पुत्र हरदेराम
[2] रामलाल पुत्र जगमाल
[3] हीरालाल पुत्र जगमाल
[4] पूरन पुत्र जगमाल
[5] अनोखी
[6] सवीता पुत्रीयान जगमाल
[7] श्रीराम
[8] रोहताश
[9] फूलसिंह पुत्रान चन्दराम
[10] कमलेश
[11] मीना पुत्रीयान चन्दराम
[12] बाबूलाल
[13] नरेन्द्र
[14] अशोक पुत्रान रामचन्द्र
[15] सन्तोष पुत्री रामचन्द्र जाति अहीर निवासी लाडपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

- प्रत्यर्थीगण

अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत बांगलाभगोरिया हल्का सं. 57 ग्राम पंचायत दिनांक 11.8.79

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार -

उपस्थित -
[1] श्री पूर्णचन्द्र य/स अधिवक्ता अपीलान्टस
[2] श्री मनोज य/स अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्टस

अपीलान्टस ने मय अधिवक्ता इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नांगल सालिया बाबत खसरा संख्या 57 ग्राम नाहडोद तहसील कोटकासिम प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस आशय की पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार है:-

अराजी ख.नं. 342/1-16, 343/2-16 वाकै ग्राम नाहडोद तहसील कोटकासिम अपीलान्टस के पिता श्री बख्तावर सिंह की काश्त बाबत खातेदारी की अराजी थी। बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त अराजी श्री अन्य आराजीयात के साथ मिन अपीलान्ट व हरनामसिंह, करणसिंह एवं बख्तावरसिंह को बराबर हिस्से में प्राप्त हुई और काबिज काश्त रहे। ख.नं. 342 व 343 में मिन अपीलान्टस का 3/5 भाग था। मिन अपीलान्टस ने अपने 3/5 भाग का बेचान कभी भी रेस्पोन्डेन्टस संख्या 1 व 2 लगा. 15 के पिताओं नानगराम, धनराज, रामचन्द्र एवं श्योराम को नहीं किया। मिन अपीलान्टस ने अपने हिस्से का कोई बयनामा नानगराम, धनराज, रामचन्द्र एवं श्योराम को नहीं करवाया। बयनामा जो दिनांक 3.10.78 जो नानगराम, धनराज, रामचन्द्र, रामकिशोर एवं श्योराम को करवाया गया था वह केवल हरनामसिंह, करणसिंह एवं बख्तावरसिंह के द्वारा केवल अपने हिस्से 2/5 भा का ही करवाया गया था कुल रकबा का बेचान ना तो करणसिंह, हरनामसिंह के द्वारा किया गया और ना ही उन्हें सम्पूर्ण रकबा का बेचान करने का अधिकार ही था। उक्त बैयनामा का इन्द्राज राजस्व कर्मचारियों से सांठ-गांठ कर एवं ग्राम पंचायत नांगल सालिया के सरपंच व पंचों से मिली भगत कर अपीलान्टस को बिना सूचना दिये बिना सुने सम्पूर्ण रकबा का इन्तकाल दिनांक 11.8.79 को स्वीकार कर [illegible]

अपील के साथ [illegible] कानूनी मियाद पेश किया जिसमें अंकित [illegible] विरुद्ध निर्णय 11.8 [illegible] जिसका सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 3-[illegible]-2013 को हुआ जब रेस्पोन्डेन्ट नाजायज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

ने चांद में जमा किये वो आराजी का बैनामा कर रखे हैं। कुल आराजी उनके नाम दर्ज है। जिस पर दूसरे रोज दिनांक 4.9.13 को नक्शा प्राप्त कर जिला देहली को अपील पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोंडेन्टान नं. 1,2,3,8,12,13,14 की ओर से श्री नीरजसिंह राजपूत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। उसके बाद दिनांक 8.9.2015 को 1,2,3,5,6 ता. 14 की ओर से श्री मनोज यादव एडव. ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद पेश किया।

रेस्पोंडेन्टान ने जवाब प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद में अंकित किया कि अपीलान्टान ने अपने मेमो नं. 2 में यह दर्ज नहीं किया कि दिनांक 11.8.79 को क्या निर्णय हुआ था। जिसकी बाबत न्यायालय श्रीमान में अपील दायर की गई है। तथा अपीलान्टान स्वयं यह दर्ज कर रहे हैं कि आदेश दिनांक 11.8.79 के विरुद्ध दिनांक 3.9.2013 को ज्ञान होने पर अपील पेश की जा रही है जबकि अपील पेश करने का समय केवल मात्र 30 दिन का ही होता है। इसलिये अपील कानून मियाद अन्दर नहीं है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक हो जाता है कि मुकदमा संख्या 19/2004 श्रीराम बनाम रतनलाल वगैरा व मुकदमा नम्बर 22/2004 रामपाल वगैरा बनाम रतनासिंह वगैरा के बारे में न्यायालय श्रीमान उप खण्ड अधिकारी कोटकासिम के यहाँ विचाराधीन थे जिसमें अपीलान्ट द्वारा बराबर पैरवी की जाकर थी जिसकी बाबत अपीलान्टान को पूर्ण रूप से जानकारी थी परन्तु श्रीराम बनाम रतनलाल वगैरा के बाद में दिनांक 14.8.2012 एवं रामपाल वगैरा बनाम रतनासिंह वगैरा के बाद में दिनांक 6.9.2012 को दोनों वादों में न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री पारित की जा चुकी थी। जिसकी अपील कानूनी रूप से सक्षम न्यायालय में करनी थी लेकिन अपीलान्टान द्वारा जान-बूझकर अदालत श्रीमान [illegible] हुए अपील दायर की गई है। अतः श्रीमान की [illegible] माननीय अदालत में उक्त अनुमान की अपील [illegible] स्वीकार योग्य नहीं है और उसके जरिये [illegible] नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

लगातार-

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टगण सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि आराजी ख.नं. 342 व 343 वाके ग्राम कोहड़ोर, तहसील कोटकासिम अपीलान्टगण के पिता बख्तावर सिंह की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। बख्तावर सिंह की मृत्यु के बाद उक्त आराजी भी अन्य आराजीयात के साथ मिन अपीलान्टगण व रतनसिंह, करतारसिंह के बराबर हिस्से में शामिलात में नाम हुई और काबिज काश्त रहे। मिन अपीलान्ट का 3/5 भाग था जिसका वेचान करने की रेस्पोन्डेन्ट को नहीं दिया गया जो बयनामा दिनांक 3.10.78 को कराया गया। वह केवल रतनसिंह व करतारसिंह ने अपने हिस्से का करवाया था। रतनसिंह व करतारसिंह का सम्पूर्ण रकबे के वेचान का अधिकार नहीं था। रेस्पोन्डेन्ट सं. 1 व बाकी रेस्पोन्डेन्ट के पिताओं द्वारा राजस्व कर्मचारियों एवं ग्रामपंचायत नौगांव साठिया से मिली-भगत कर नामान्तरकरण सं. 57 दिनांक 11.8.79 को सम्पूर्ण रकबे का हकों का स्वीकार करा लिया। नामान्तरण हकों का स्वीकार करते समय ना तो मिन अपीलान्टगण को सुना गया और नाही कोई नोटिस दिया गया और बिना कोई सूचना के हकों का स्वीकार कर दिया जो विधि विरुद्ध किया गया। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टगण को दिनांक 3.9.2013 को हुई। जिस पर मिन अपीलान्टगण ने समय वर्जित ना करते हुए बिना देरी अपील प्रार्थना मय दफा 5 के साथ पेश की। अपीलान्टगण अधिवक्ता ने कहा कि न्याय हित में 11.8.79 से 3.9.2013 तक का समय कन्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि स्वीकार की जानी न्यायसंगत है। जिसके समर्थन करने के लिए अपीलान्टगण अधिवक्ता ने RLW 2013 (1) पेज 268 H.C, R.L.W 2011 (1) R.J. पेज 262 - B.O.R, R.L.W 2008 (2) R.J पेज 1185 B.O.R की दलील पेश की।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट [illegible] धारा 5 कानूनी मियाद की बहस में कहा कि अपीलान्टगण [illegible] रह नहीं सकता को दिनांक 11.8.79 को [illegible] किया गया था। जो अपील 34 साल बाद न्यायालय में पेश की गई है उसमें अंकित

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

नहीं है। आदेश दिनांक 11.8.79 के विरुद्ध दिनांक 3.9.2013 को ज्ञात होने पर अपील पेश की गई है। जबकि अपील पेश करने का समय एक माह का है। इसलिए अपील कानूनन अवधि बाधित नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट प्रत्यर्थीगण के कथन कि अपीलार्थी को बखूबी पता था कि विवादित आराजीयात बाबत जो मुकदमे नं. 19/2004 श्रीराम बनाम रतनलाल व 22/2004 रामधन बनाम रतनसिंह वगैरा जो सिविल न्यायालय द्वारा डिक्री किया गया उसमें अपीलार्थी प्रतिवादीगण की तरह में पक्षकार थे और बखूबी पैरवी की इसलिए यह कथन गलत है कि - अपीलार्थी को दिनांक 3.9.2013 को ज्ञात हुआ। इसलिए इतना लम्बा समय व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र धारा 5 कानूनी मियाद बाहर होने बाबत खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण में विवादित खातेदारी स्वर्गीय बख्तावरसिंह की विरासत के नामान्तरकरण का है ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड बैठक दिनांक 3.10.79 द्वारा नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता का कथन है कि बेटियों केवल रतनसिंह एवं कर्णसिंह पुत्रान बख्तावरसिंह द्वारा कायम 2.5 हिस्से कर किया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण कर दिया गया एवं अधिवक्ता का कथन है कि उन्हें इस बात की जानकारी 35 वर्ष बाद अर्थात वर्ष 2013 में हुई और उन्होंने 3.9.2013 को अपील पेश की। किसी भी पुत्र या पुत्री को उनके विरासत के नामान्तरकरण का ज्ञान 35 वर्ष तक नहीं होना - मानने योग्य नहीं है। फिर भी एकबार यह मान भी लें कि उन्हें 35 वर्ष बाद ज्ञात हुआ तो [illegible] द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन [illegible] है कि सिविल न्यायालय में वाद [illegible] 2004 में अपीलार्थी के द्वारा प्रतिवादीगण की तरह में [illegible] न्यायालय में लगातार पैरवी की गई है एवं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बयान भी दिये गये हैं। बयानों में भी उनके द्वारा जानकारी होना पर देखा

(लगातार)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

और कभी किसी पर नहीं देखा बताया जाता है एवं दोनों वादों का निर्णय क्रमशः 14.08.2012 को एवं 06.09.2012 को होने के उपरांत अपीलार्थी द्वारा अपील की गई है। चूंकि तत्कालीन अपीलार्थी को केवल। आदेशों के द्वारा ही समस्त जानकारी को अपने हक सिद्ध करने का भरसक प्रयास किया गया है। एवं इस बात का ज्ञान अपीलार्थी को न हो ऐसा हो नहीं सकता है। जिससे न्यायालय एवं आदेशों होने की बात पर मान भी लें कि उन्हें इस वाद का ज्ञान नहीं था। लेकिन वाद सं. 19/2004, दायर दिनांक 26.3.2004 एवं वाद संख्या 22/2004 दायर दिनांक 26.3.2004 के जवाब दावा प्रस्तुत करने के बाद अपीलार्थी को इसका ज्ञान न होना माना नहीं जा सकता है। उपरोक्त दोनों वाद पत्रों से अपीलार्थी की तरफ से इतना [illegible] की पुनः जगह समय दी। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इस मामले का ज्ञान अपीलार्थी को था एवं जानबूझकर [illegible] स्थगनार्थ है। यहाँ पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विवाद प्रारम्भ में 1978 से लेकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का समय कन्डोन करने की दिया जावे परन्तु इससे किसी तरह की गुंजाइश नहीं है कि 2004 से 2013 तक समय को कन्डोन किया जा सके।

निर्णय

अतः अपील अपीलार्थी वर्ष 2004 से वर्ष 2013 तक के समय का अपीलार्थी को अपील [illegible] ज्ञात होने के कारण एवं विलम्ब अवधि को कन्डोन करने का कोई ठोस कारण। सबूत के अभाव में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज करते हुए [illegible] खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2022.05.07 10:32:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)